प्रेस नोट जनपद रामपुर दिनांक 25–11–2020

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निकट पर्यवेक्षण में एंटी रोमियों स्क्वाड द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को किया जा रहा है जागरूक–.

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 25–11–2020 को एंटी रोमियो स्क्वाड, रामपुर प्रभारी सुश्री कंचन टोलिया मय टीम तथा थानों पर गठित एण्टी रोमियों टीम द्वारा जनपद के नगर व देहात क्षेत्र में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों, कानून तथा वूमेन पावर लाइन–1090, महिला हेल्प डेस्क, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर–181, पुलिस आपातकालीन प्रबन्धन प्रणाली परियोजना यू.पी.–112 के बारे में जानकारी दी जा रही है। उनसे उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पम्पलेट भी लगाये जा रहे हैं।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा छात्राओं को किया गया यातायात नियमों के प्रति जागरूक–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री अरूण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी यातायात, रामपुर के नेतृत्व में यातायात माह नवम्बर–2020 के अन्तर्गत आज दिनांक 25–11–2020 को श्री सुमित कुमार प्रभारी यातायात, रामपुर एवं एचसीपी यातायात श्री पूर्ण सिंह व श्री रामप्रकाश द्वारा द्वारिका नन्दन गर्ल्स इण्टर कॉलेज, पंजाबनगर में जाकर यातायात नियमों से जाकर छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही कोविड–19 के संक्रमण से बचव हेतु मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने सम्बन्धी आदि उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के आदेशानुसार जनपद में भीड–भाड वाले स्थानों, बैंकों के आस–पास की जा रही है संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चौकिंग

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के आदेशानुसार आज दिनांक 25–11–2020 को समस्त थाना प्रभारियों द्वारा जनपद में बैंकों के आस–पास, मुख्य–मुख्य चौराहों आदि स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों, दो पहियाध्चार पहिया वाहनों की सघन चौकिंग की जा रही है। चौकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा कोविड–19 को देखते हुए मास्क न पहनने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। साथ ही

लोगों को मास्क लगाने, सामाजिक दूरी का पालन करने एवं यातायात माह नवम्बर–2020 के अन्तर्गत वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है।

थाना कोतवाली :–सीएए/एनआरसी प्रकरण में 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार–

दिनांक 22–12–2019 को थाना कोतवाली जनपद–रामपुर पर मु0अ0सं0–655/19 धारा 147,148,149,353,186,143,332,333,188,435,336,427,325 भादवि व 3/4 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि0 व 7 सीएलए एक्ट बनाम फहद आदि पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 25–11–2020 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण को तोपखाना से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

01– फहद पुत्र जाफर मियां निवासी मौहल्ला जीना इनायत खां थाना कातवाली, रामपुर।

02–आसिक उर्फ आसिम पुत्र अकरम निवासी मौहल्ला घेर मर्दान खां थाना कोतवाली, रामपुर।

थाना कोतवाली :–01 अद्द नाजायज तमंचा, 01 तलवार मय मियानी व 01 अद्द चाकू नाजायज के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 25–11–2020 को थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा विनय कुमार उपाध्याय पुत्र सुरेन्द्र नाथ शर्मा निवासी मीरापुर थाना फतेहगंज पि"चमी जनपद बरेली, हाल निवासी–नवीगंज थाना सिविल लाइन, रामपुर को इन्द्रा कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर, 01 तलवार मय मियानी नाजायज व 01 अद्द चाकू नाजायज बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

विनय कुमार उपाध्याय पुत्र सुरेन्द्र नाथ शर्मा निवासी मीरापुर थाना फतेहगंज पि"चमी जनपद बरेली, हाल निवासी–नवीगंज थाना सिविल लाइन, रामपुर।

बरामदगी–

- 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर,
- 01 तलवार मय मियानी नाजायज,
- 01 अद्द चाकू नाजायज बरामद हुआ।

कार्यवाही–

01–मु0अ0सं0–232/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट।

02–मु0अ0सं0–233/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट।

थाना मिलकखानम :– भा0 वन अधि0 में वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार–

निशान सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम अज्जूवाला थाना मिलकखानम, रामपुर आदि 02 नामजद व 05–06 अज्ञात व्यक्ति, पीपली वन से लकडी काट रहे थे जो वन विभाग की टीम को देखकर मौके से फरार हो गये थे। इस सम्बन्ध में थाना मिलकखानम पर मु0अ0सं0–124/20 धारा 26 भारतीय वन अधिनियम पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 25–11–2020 को थाना मिलकखानम पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहा अभियुक्त नि"ाान सिंह उपरोक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना केमरी :–20 लीटर नाजायज भाराब खाम के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 25–11–2020 को थाना केमरी, रामपुर पुलिस द्वारानवाब हुसैन पुत्र मोहम्मद नवी निवासी ग्राम स्वार खुर्द थाना केमरी, रामपुर को वृहद ग्राम स्वार खुर्द का मझरा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज शराब खाम बरामद हुई। इस सम्बन्ध में थाना केमरी पर मु0अ0सं0–230/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।